राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयुपर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेलः sbmg2018@gmail.com

कमांक : एफ 12( )परावि/एसबीएम/ BSR Sanitation/2024–25/2192-96 दिनांक : 18/11/2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद –समस्त।

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्य सम्पादित करने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 1459–64 दिनांक 03.09.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदक के माध्यम से स्वच्छता कार्य कराने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि स्वच्छता संबंधी कार्य करवाते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1. स्वच्छता का कार्य करने वाले स्वच्छता मित्रों हेतु सुरक्षा उपकरण/पी.पी.ई. किट उपलब्ध कराने का दायित्व संवेदक रहेगा। यदि संवेदक द्वारा उक्त उपकरण/किट उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो स्वच्छता मित्रों हेतु सुरक्षा उपकरण/पी.पी.ई. किट ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये जा सकते है तथा राशि का पुनर्भरण संवेदक के बिल से किया जायेगा।

2. सफल निविदादाता को स्वच्छता कार्यों हेतु मांगे जाने पर ऐसे श्रमिक/मानव संसाधन जो परम्परागत कार्य करने वाले/पूर्व में सफाई कार्य के अनुभवी व्यक्तियों या इनके समूह को प्राथमिकता के अनुसार नियोजित करना होगा।

3. घर–घर कचरा संग्रहण हेतु निम्नानुसार वाहनों के विकल्प उपयोग में लिये जा सकते है :–
   - ई–रिक्शा
   - टीपर (पेट्रोल/डिजल चालित वाहन)
   - छोटा ट्रेक्टर मय ट्रोली (पेट्रोल/डीजल चालित वाहन)
   - ट्रेक्टर मय ट्रोली (पेट्रोल/डीजल चालित वाहन)
   - अन्य वाहन

4. स्वच्छता कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर से ग्रामीण स्वच्छता पोर्टल/ऐप तैयार किया जाना प्रस्तावित है। पोर्टल/ऐप प्रारम्भ होने के पश्चात स्वच्छता कार्यो की मॉनिटरिंग पोर्टल/ऐप के माध्यम से की जाए।

5. सामुदायिक स्वच्छता परिसरों हेतु पानी/बिजली की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी।

6. ग्राम पंचायतों के लिए घर–घर कचरा संग्रहण से एकत्रित कचरे का निस्तारण करने हेतु आर.आर.सी./डम्पिंग यार्ड हेतु भूमि का आवंटन राजस्व विभाग के माध्यम से करवाया जाए। इस हेतु ग्राम पंचायतों का कलस्टर तैयार कर एक स्थान पर भी कचरे का निस्तारण किया जा सकता है।

7. कचरे का परिवहन ट्रोली में करते समय कचरा ढक कर ले जाना होगा।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयुपर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेलः sbmg2018@gmail.com

8. ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भवन (पंचायत घर, आँगनबाड़ी भवन, विद्यालय, पटवार भवन एवं अन्य सरकारी परिसर) की नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु संबंधित संस्थाओं को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करे।

9. संवेदक द्वारा संग्रहित कचरा/पृथक्कीकरण के पश्चात अवशेष कचरे को खुले में नहीं जलाया जायेगा ना ही खुले में फेंका जायेगा। जलाने/फेंकने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। डम्पिंग यार्ड से आशय कचरे के पृथक्कीकरण शेड (Segrigation Shed)/आर.आर.सी. (Resource Recovery Centre) है।

10. ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों/सडक पर पेड़ इत्यादि टूट कर गिर जाता है तो उसका निस्तारण ग्राम पंचायत द्वारा 24 घंटे में किया जायेगा।

11. ग्राम पंचायतो में निराश्रित, असहाय सड़क पर पड़े पशुओ हेतु चारे पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा की जायेगी तथा इस संबंध में संबंधित पशु चिकित्सक को अवगत करवाया जायेगा।

12. ग्राम पंचायतों में वर्षा के मौसम के समय पूर्व एवं पश्चात अभियान चलाकर नाली/सड़क/सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जायेगी।

13. राजकीय विद्यालयो के बाहर एवं कमरों के बाहर अर्थात चारदिवारी के अन्दर के सार्वजनिक परिसर में कचरा संग्रहण कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि स्वच्छता हेतु अनुदान या अन्य कोई राशि का व्यय इस कार्य हेतु नही किया गया हो।

14. सार्वजनिक स्थानों पर रेवड़ी/रोड़ी/गोबर के ढेर का निस्तारण अभियान चलाकर ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित साफ–सफाई की व्यवस्था कर इसकी नियमित समीक्षा की जाए तथा प्रगति से नियमित रूप से निदेशालय को अवगत कराये।

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर– जिला समस्त।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज), जिला परिषद–समस्त।
4. जिला परियोजना समन्वयक/प्रभारी अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला परिषद–समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।

Document certified by JOGA RAM <JOGARAM@GMAIL.COM>.
Digitally Signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date :17-11-2024 12:56:58